निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून

दूरभाष नं0 0135–2775813, 814 फैक्स नं0 2775816 ई0मेल: dir.icds.ua@gmail.com

पत्र संख्या सी–1045 /बजट–5511-III/2020-21, दिनांक 04 सितम्बर, 2020

1–आहरण वितरण अधिकारी,निदेशालय,म0स0ए0बा0वि0वि0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
2–समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,,बाल विकास–उत्तराखण्ड।
3–समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,,उत्तराखण्ड।

विषयः वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

शासनादेश संख्या 408/XVII(4)/2020-2(6)/2020 दिनांक 24-04-2020 के द्वारा अनुदान संख्या–15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति ₹ 153032000/- (₹ पन्द्रह करोड़ तीस लाख बत्तीस हजार मात्र), शासनादेश संख्या 590/XVII(4)/2020-5(23)/2019 दिनांक 01-07-2020 के द्वारा अनुदान संख्या–15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति ₹ 10000/- (₹ दस हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या 908/XVII(4)/2020-2(6)/2020 दिनांक 06-08-2020 के द्वारा अनुदान संख्या–15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति ₹ 720000/- (₹ सात लाख बीस हजार मात्र) कुल धनराशि ₹ 153762000/- (₹ पन्द्रह करोड़ सैतीस लाख बासठ हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आंवटन ₹ 6340450/- (₹ तिरेसठ लाख चालीस हजार चार सौ पचास मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न् शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती हैः–

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं :–

1. मानक मद 02– मजदूरी के अन्तर्गत ऐसे श्रमिकों की मजदूरी/पारश्रमिक का भुगतान किया जाए जिन्हें आकस्मिक व्यवस्था के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है।
2. मानक मद 08–पारिश्रमिक के अन्तर्गत संविदा/अनुबन्ध अथवा बाहय सेवा प्रदाता एजेन्सी (उपनल/पी0आ0डी0) के माध्यम से नियोजित कार्मिक जिन्हें नियमित/स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियोजित किया गया है, का भुगतान किया जाए।
3. मानक मद 22–कार्यालय व्यय अन्तर्गत आकस्मिक व्यय अर्थात डाक व्यय,साज–सज्जा की खरीद, आदि पर व्यय,कार्यालय में स्थापित मशीनों/उपकरणों का अनुरक्षण/वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित व्यय, अर्न्तविभागीय बैठकों, कान्फ्रेन्सों आदि में दिये जाने वाले जलपान से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाए।
4. मानक मद 23–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व से किराये पर संचालित परियोजना कार्यालयों का भुगतान नियमानुसार किया जाए।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुन्सयारी पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि मानक मद 18–प्रकाशन की धनराशि रू0 10000.00 आर0बी0आई0 फेल होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में मानक मद 24–विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय के अन्तर्गत पिछला अवशेष का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
6. मानक मद 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान अन्तर्गत विधिक/विशेषज्ञ सेवा से सम्बन्धित व्यय परामर्श सेवाओं एवं कन्सलटेन्सी से सम्बन्धित व्यय जैसे विधिक,एकान्उटिंग, आदि को देय पारिश्रमिक से सम्बन्धित व्यय एवं बाहय सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से आउटसोरिंग पर ली गयी सेवाओं पर होने वाले व्यय (सफाई व्यवस्था,सुरक्षा व्यवस्था अथवा बागवानी सम्बन्धित सेवाओं) का भुगतान किया जाए। (नोट– आउटसार्स पर नियोजित कार्मिको के मानदेय/ किराये पर लिये गये अनुबन्धित वाहनों से सम्बन्धित व्यय इस मानक मद से किसी भी दशा में नहीं किये जायेगें।)
7. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा। प्रत्येक माह की 02 तारीख तक बी0एम0–08 नियमानुसार निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून
दूरभाष नं0 0135–2775813, 814 फैक्स नं0 2775816 ई0मेलः dir.icds.ua@gmail.com

9. वर्तमान जारी बजट को विभागीय वैबसाईट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
10. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनु0सं0–15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-15-00 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

(संजीव कुमार सिंह)
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार,देहरादून।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

वित्त नियंत्रक